

न्यायालय:श्रीष कौलाश शुक्ल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला -बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्रक.क्रमांक-828 / 2014

संस्थित दिनांक-11.09.2014

फाईलिंग क.234503006542014

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-परसवाड़ा,
 जिला-बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — अभियोजन

// विरुद्ध //

1—दुर्गाप्रसाद पिता गेंदलाल भारती, उम्र-28 वर्ष,
 निवासी-ग्राम परसवाड़ा, थाना परसवाड़ा,
 जिला बालाघाट (म.प्र.)

2—रंजित सिंह पिता स्व. रज्जनसिंह, उम्र-22 वर्ष,
 निवासी-मदनमहल जबलपुर, थाना गढ़ा,
 जिला जबलपुर (म.प्र.)

3—रोहित खरे पिता सुरेन्द्र खरे, उम्र-22 वर्ष,
 निवासी-मदनमहल जबलपुर, थाना गढ़ा,
 जिला जबलपुर (म.प्र.)

4—अजय तिवारी पिता दिनेश तिवारी, उम्र-21 वर्ष,
 निवासी-मदनमहल जबलपुर, थाना गढ़ा,
 जिला जबलपुर (म.प्र.)

— — — — — आरोपीगण

// निर्णय //

(आज दिनांक-16/08/2016 को घोषित)

1— आरोपीगण के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-384 एवं आयुध अधिनियम की धारा-25 (ए) के तहत आरोप है कि उन्होंने दिनांक-27.08.2014 को सुबह 10:00 बजे, थाना परसवाड़ा अंतर्गत फरियादी के घर के सामने गली भादूकोटा में फरियादी नरेश कुमार को क्षति कारित करने को सामान्य आशय निर्मित कर उस सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी नरेश कुमार को भय में डालकर 550/-रूपये की मांग कर उद्दापन कारित किया, अपने आधिपत्य में म.प्र. राज्य शासन की अधिसूचना क्रमांक-6312-6552-II-बी(I) दिनांकित-22.11.1974 के उल्लंघन में एक

लोहे का चाकू बिना वैध अनुज्ञप्ति के रखा।

2— अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी नरेश कुमार ने दिनांक—27.08.2014 को पुलिस थाना परसवाड़ा आकर यह रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह ग्राम भादूकोटा में रहता है, उसने दुर्गा भारती से एक मोटरसाइकिल क़य की थी, जिसके 550 /—रुपये देना शेष रह गया था। उक्त दिनांक को लगभग 10 बजे आरोपी दुर्गा ने उसे गली में बुलाया और उसके साथ रंजित ठाकुर, अजय तिवारी, रोहित खरे जो जबलपुर के हैं वहां आए और उसे अश्लील गालियां दी और कॉलर पकड़कर कहा कि पैसे दे और उसे लात घुसों से मारपीट करने लगे, जिससे उसके शरीर में चोटें आई थी। आरोपी दुर्गा ने चाकू दिखाया था और जान से मारने की धमकी दी थी। उपरोक्त रिपोर्ट के आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध पुलिस थाना परसवाड़ा में अपराध क्रमांक—124 / 14, अंतर्गत धारा—294, 323, 506 बी, 34 भा.द.वि. पंजीबद्ध किया गया। पुलिस ने विवेचना के दौरान आरोपीगण के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा—384 एवं आयुध अधिनियम की धारा—25 आर्म्स एक्ट का ईजाफा किया गया तथा साक्षियों के समक्ष जप्तशुदा संपत्ति चाकू जप्त कर जप्तीपत्रक बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेख किये तथा आरोपीगण को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3— आरोपीगण के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—384 एवं आयुध अधिनियम की धारा—25 (ए) का आरोप पत्र विरचित किये जाने पर उसके द्वारा अपराध अस्वीकार कर विचारण चाहा गया। आरोपीगण के द्वारा धारा—313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को निर्दोष होना कहकर झूठा फंसाया होना बताया गया। आरोपीगण ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

4— **प्रकरण में निराकरण हेतु निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है:—**

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक—27.08.2014 को सुबह 10:00 बजे, थाना परसवाड़ा अंतर्गत फरियादी के घर के सामने गली भादूकोट में फरियादी नरेश कुमार को क्षति कारित करने को सामान्य आशय निर्मित कर उस सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी नरेश कुमार को भय में डालकर 550 /—रुपये की मांग कर उद्दापन कारित किया ?
2. क्या आरोपीगण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर अपने आधिपत्य में म.प्र. राज्य शासन की अधिसूचना क्रमांक—6312—6552—II—बी(I)

दिनांकित-22.11.1974 के उल्लंघन में एक लोहे का चाकू बिना वैध अनुज्ञप्ति के रखा ?

: : विचारणीय बिन्दु क्रमांक-1 का निष्कर्ष : :

5— अभियोजन की ओर से परिक्षित साक्षी सुहास सिंह ठाकुर (अ.सा.3) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह दिनांक-27.08.2014 को थाना ग्रामीण जिला बालाघाट में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को अपराध क्रमांक-124/14 की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर उसके द्वारा मौके पर जाकर प्रार्थी नरेश कुमार की निशादेही पर मौका नक्शा प्रदर्श पी-2 तैयार किया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं एवं ए से ए भाग पर प्रार्थी नरेश के हस्ताक्षर हैं। उसने उक्त दिनांक को आरोपी दुर्गाप्रसाद भारती से जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-4 अनुसार चाकू जप्त किया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने साक्षीगण के बयान उनके बताए अनुसार लेख किया था तथा आरोपीगण को गिरफ्तार किर गिरफ्तारी पत्रक 6 लगायत 9 तैयार किया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपीगण के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध क्रमांक-124/14, अंतर्गत धारा-294, 323, 506बी, 34 भा.द.वि. सुखदेव सिंह धुर्वे उपनिरीक्षक द्वारा लेख की गई थी, जो प्रदर्श पी-1 है, जिस पर उनके हस्ताक्षर हैं, जिनके हस्ताक्षर वह साथ में कार्य करने के कारण पहचानता है। विवेचना के दौरान धारा-25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत अपराध करना पाए जाने से आरोपीगण के विरुद्ध धारा-25 आर्म्स एक्ट बढ़ाई गई। आरोपीगण के पास आर्म्स रखने के संबंध में लायसेंस पूछे जाने पर उन्होंने लायसेंस नहीं होना बताया था एवं स्कूटनी के चालान स्कूटनी के दौरान भेजने पर ए.पी.पी. महोदय के मौखिक आदेश किये जाने पर धारा-384 भा.द.वि. बढ़ाई गई, क्योंकि आरोपीगण द्वारा भय दिखाकर पैसे की मांग की गई थी।

6— प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 उपनिरीक्षक सुखदेव सिंह धुर्वे द्वारा लेख की गई थी। फरियादी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में क्या बताया था इसकी उसे जानकारी नहीं है। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि गवाहों के समक्ष आरोपी दुर्गाप्रसाद से चाकू जप्त नहीं किया गया था। साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि विवेचना में जप्ती एवं गवाहों के कथन इत्यादि अपने मन से लेख किया था।

7— अभियोजन की ओर से परिक्षित साक्षी नरेश कुमार (अ.सा.1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह आरोपीगण को जानता है। घटना उसके बयान देने के एक वर्ष पूर्व की उसके घर के सामने ग्राम भादूकोटा की है। उसका आरोपीगण से पैसे की बात को लेकर मौखिक वाद विवाद हो गया था, जिसकी उसने थाना परसवाड़ा में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख कराई थी, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 है, जिसके ए से ए भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। पुलिस ने उसके समक्ष घटनास्थल का मौकानक्शा प्रदर्श पी-2 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। पुलिस ने उसका चिकित्सीय परीक्षण नहीं कराया था और न ही बयान लिये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि घटना दिनांक को आरोपीगण ने उसका कॉलर पकड़कर उसके साथ हाथ-मुक्कों से मारपीट की थी। साक्षी ने इस बात से भी इंकार किया कि आरोपी दुर्गाप्रसाद ने उसे चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी दी थी। साक्षी ने इस बात से भी इंकार किया कि आरोपीगण ने पैसे की मांग कर उसे जान से मारने की धमकी दी थी। साक्षी ने पुलिस कथन प्रदर्श पी-3 पुलिस को नहीं लेख कराया था। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया कि उसका आरोपीगण से स्वेच्छया राजीनामा हो गया है।

8— अभियोजन साक्षी अशोक ब्रम्हे (अ.सा.2) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह आरोपी दुर्गाप्रसाद को जानता है, शेष आरोपीगण को नहीं जानता। घटना में फरियादी नरेश को जानता है। घटना उसके बयान देने के एक वर्ष पूर्व दिन के 11-12 बजे की है। उसके घर के सामने आरोपी दुर्गाप्रसाद तथा नरेश का पैसे के लेनदेन को लेकर विवाद हुआ था। उसके समक्ष पुलिस ने आरोपी दुर्गाप्रसाद से कोई जप्ती नहीं की थी, किन्तु जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-4 के ए से ए भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि घटना दिनांक को मोटरसाईकिल खरीदी के मामले को लेकर आरोपीगण ने फरियादी नरेश से हाथ-घूंसो से मारपीट की थी। साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि उसके सामने आरोपी दुर्गाप्रसाद से एक चाकू जप्त किया गया था और प्रदर्श पी-4 तैयार किया गया था। साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि आरोपीगण को उसके समक्ष गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-6 लगायत प्रदर्श पी-9 पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने उपरोक्त उपरोक्त गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-6 लगायत प्रदर्श पी-9 पर अपने हस्ताक्षर होना

स्वीकार किया है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि उसने प्रदर्श पी-4 एवं तथा प्रदर्श पी-6 लगायत प्रदर्श पी-9 पर पुलिस के कहने पर हस्ताक्षर किये थे। साक्षी ने इस बात को स्वीकार किया उन दस्तावेजों में क्या लिखा था, इस बात की उसे जानकारी नहीं है।

9— आरोपीगण के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-384 के अंतर्गत अपराध किये जाने का अभियोग है। प्रकरण में आरोपीगण तथा फरियादी का राजीनामा हो जाने से शमनीय प्रकृति की धाराओं में आरोपीगण को दोषमुक्त किया जा चुका है। फरियादी नरेश का कहना है कि उसका आरोपीगण से पैसे के लेनदेन को लेकर मौखिक विवाद हुआ था। आरोपीगण ने पैसे की मांग को लेकर मारपीट नहीं की थी। फरियादी ने यह भी कहा है कि आरोपी दुर्गाप्रसाद ने उसे पैसे की मांग को लेकर जान से मारने की धमकी भी नहीं दी थी। मौके पर उपस्थित साक्षी अशोक ब्रम्हे अ.सा.2 ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में यह कहा है कि घटना दिनांक को आरोपीगण का फरियादी से मौखिक विवाद हुआ था, परंतु उसके सामने कोई मारपीट नहीं हुई और न ही पुलिस ने उसके सामने जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही आरोपीगण के विरुद्ध की थी। यद्यपि साक्षी सुहास सिंह ठाकुर (अ.सा.3) ने स्वयं द्वारा की गई विवेचना की कार्यवाही को प्रमाणित किया है, परंतु मौके पर उपस्थित साक्षी नरेश (अ.सा.1) तथा अशोक (अ.सा.2) के न्यायालयीन परीक्षण से आरोपीगण द्वारा फरियादी नरेश को भयोपरत कर उद्दापन कारित किया जाना प्रमाणित नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-384 में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है।

: : विचारणीय बिन्दु क मांक-2 का निष्कर्ष : :

10— अभियोजन की ओर से परिक्षित साक्षी सुहाससिंह ठाकुर (अ.सा.3) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में यह कहा है कि उसने दिनांक-27.08.2014 को आरोपी दुर्गाप्रसाद के पास से साक्षी अशोक एवं महेन्द्र के समक्ष एक चाकू जप्त किया था एवं जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-4 तैयार किया था, जिस पर उसने हस्ताक्षर किये थे। फरियादी तथा शेष साक्षियों के बयान उनके बताए अनुसार लेख किये थे। साक्षी ने यह भी कहा है कि आरोपीगण के पास अनुज्ञा नहीं होने से उनके विरुद्ध आयुध अधिनियम की धारा-25 बढ़ाई गई थी। साक्षी के प्रतिपरीक्षण पर विचार किया जावे तो साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि उसने आरोपी दुर्गाप्रसाद के आधिपत्य से प्रदर्श पी-4 अनुसार चाकू जप्त नहीं किया गया था। जप्तशुदा चाकू न्यायालय के समक्ष बुलाया जाकर उस

पर आर्टिकल अंकित नहीं कराया गया है। चाकू को जप्त करते समय मौके पर सीलबंद करने की कार्यवाही की गई थी अथवा इस संबंध में नमूना सील अंकित की गई थी, यह बात भी अभिलेख के परिशीलन से प्रकट नहीं हो रही है। जप्ती की कार्यवाही साक्षी अशोक (अ.सा.2) के समक्ष की गई थी। साक्षी अशोक (अ.सा.2) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसके समक्ष जप्ती की कार्यवाही नहीं हुई थी और न ही आरोपी दुर्गाप्रसाद से निषेधित प्रकृति का चाकू जप्त किया गया था। साक्षी नरेश (अ.सा.1) के न्यायालयीन परीक्षण पर विचार किया जावे तो उसका कहना है कि आरोपीगण ने उसके साथ मारपीट नहीं की थी। आरोपी दुर्गाप्रसाद ने चाकू दिखाकर उसे जान से मारने की धमकी नहीं दी थी और न ही यह बात उसने पुलिस रिपोर्ट में लेख कराई थी और न ही पुलिस कथन में लेख कराई थी। उपरोक्त आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध आयुध अधिनियम की धारा-25 (ए) का अपराध किया जाना प्रमाणित नहीं पाया जाता। ऐसी स्थिति में आरोपीगण को आयुध अधिनियम की धारा-25 (ए) की धारा में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है।

11— प्रकरण में आरोपीगण दिनांक-28.08.2014 से दिनांक-30.08.2014 तक न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध रहें हैं। इस संबंध में पृथक से धारा-428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

12— प्रकरण में आरोपीगण की उपस्थिति बाबद् जमानत मुचलके द.प्र.सं. की धारा-437(क)के पालन में आज दिनांक से 6 माह पश्चात् भारमुक्त समझे जावेंगे।

13— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति एक चाकू मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् विधिवत् नष्ट किया जावे, अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन हो।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया गया।

बैहर,
दिनांक-16.08.2016

(श्रीष कैलाश शुक्ल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट